

CT-4107/70

(PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART II SECTION 3, SUB-SECTION (i) DATED 1.8.1970 AS GSR NO. 1116)

Government of India
Ministry of Petroleum & Chemicals and Mines & Metals
(DEPARTMENT OF MINES & METALS)

NEW DELHI, THE 12TH MAY, 1970.

NOTIFICATION

G.S.R. ¹¹¹⁶ In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, (67 of 1957) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 1970.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Mineral Concession Rules, 1960 in Schedule III after class 17 and the entries relating thereto the following shall be added namely:

"13. All other minerals not hereinbefore specified.	Quantity to be fixed by the State Government according to the circumstances of each case."
---	--

[F.No.1(25)/69-MVI]

Sd/- A. Sethumadhavan
Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3, उप-खण्ड (1) दिनांक 1-8-70 में सा.का.आ.
सं. 1116 के रूप में प्रकाशित)

.....
भारत सरकार

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय

(खान तथा धातु विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई, 1970

अधिसूचना

सा.का.आ.सं. 1116 खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम,
1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये
केन्द्रीय सरकार खनिज छूट अधिनियम, 1960 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये
एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

- 1- (1) यह नियम खनिज छूट (संशोधन) नियम, 1970 कहें जा सकेंगे।
(2) यह शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हो जायेंगे।
- 2- खनिज छूट नियम, 1960 में अनुसूची तीन में वर्ग 17 तथा तत्सम्बन्धी
प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जायेगा. अर्थात् :-
" 18 एतद्विनापूर्व प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार राज्य
अतिरिष्ट समस्त सरकार द्वारा परिमाण का नियम किया
अन्य खनिज जाना " ।

(फाइल संख्या 1(25)/69-खान-6)

(ए० सेतुनाथवन)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,
मुद्रणालय भारत सरकार,
मिंटो रोड,
नई दिल्ली।
